ज्ञान तत्व कमांक–380

मंथन कमॉक–100 ''वर्ण व्यवस्था''

कुछ सिद्धान्त हैः–

1. दुनियां में व्यक्ति दो विपरीत प्रवृत्ति के होते हैं। सामाजिक और समाज विरोधी। इन प्रवृत्तियों में जन्म पूर्व के संस्कार, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश का मिला जुला स्वरूप होता है।
2. गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर यदि ऑकलन किया जाये तो चार अलग–अलग क्षमताओं के लोग मिलते है। इन्हें हम विचारक, प्रबंधक, व्यवस्थापक और श्रमिक के रूप में विभाजित कर सकते है। इस विभाजन को ही प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था कहा जाता था।
3. भारत की वर्ण व्यवस्था दुनियॉ की एक मात्र ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो आदर्श है। यदि यह व्यवस्था विकृत होकर योग्यता की जगह जन्म का आधार नहीं ग्रहण करती तो अब तक सारी दुनियां इसे स्वीकार कर चुकी होती।
4. बहुत लम्बे समय के बाद सामाजिक व्यवस्थाएं रूढ होकर विकृत हो जाती है और उसके दुष्परिणाम उस पूरी व्यवस्था को ही सामाजिक रूप से अमान्य कर देते है।
5. वर्ण और जाति अलग–अलग व्यवस्था है। जातियॉ सिर्फ कर्म के आधार पर बनती है तो वर्ण गुण, कर्म, स्वभाव को मिलाकर। प्रत्येक वर्ण में कर्म के आधार पर अलग–अलग जातियॉ बनती है।
6. वर्ण व्यवस्था से विकृति दूर करने की अपेक्षा वर्ण व्यवस्था का समाप्त होना अव्यवस्था का प्रमुख कारण है।
7. स्वामी दयानंद महात्मा गांधी सरीखे महापुरूष वर्ण व्यवस्था की विकृतियों को दूर करना चाहते थे। भीमराव अम्बेडकर, नेहरू आदि ने वर्ण व्यवस्था की विकृतियों पर अपनी राजनैतिक रोटी सेकने का प्रयास किया। उसका दुष्परिणाम भारत भोग रहा है।
8. वर्ण व्यवस्था में योग्यता और क्षमतानुसार कार्य का विभाजन होता है और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अलग–अलग वर्ण को अलग–अलग उपलब्धियॉ भी प्राप्त होती है।
9. वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है। उसका राजनीति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। सामाजिक व्यवस्था में राजनीति का प्रवेश जितना ही बढता है उतनी ही अव्यवस्था बढती है जैसा भारत में हो रहा है।
10. वर्ण व्यवस्था में विचारक को सर्वोच्च सम्मान, प्रबंधक को शक्ति, व्यवस्थापक को अधिकतम आर्थिक सुविधा और श्रमिक को अधिकतम सुख की गारंटी और सीमा निर्धारित होती है।

प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण विचार प्रधान होता था, क्षत्रिय शक्ति प्रधान, वैश्य कुशलता तथा श्रमिक सेवा प्रधान जाना जाता था। सबके गुण और स्वभाव के आधार पर वर्ण निर्धारित होते थे। जन्म के अनुसार सबको शून्य अर्थात शुद्र माना जाता था और धीरे–धीरे जन्म पूर्व के संस्कार पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश के आधार पर वह अपनी योग्यता सिद्ध करता था तब उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का विशेष वर्ण दिया जाता था। ऐसी भी बात सुनी जाती है कि आठ वर्ष की उम्र में जो बालक ब्राह्मण की योग्यता की परीक्षा पास कर लेता था उसे ब्राह्मण का यज्ञोपवीत देकर ब्राह्मण घोषित किया जाता था। वह भविष्य में ब्राह्मण की पढाई विशेष रूप से करता था और उस एक दिशा में ही निरंतर आगे बढता जाता था। दस वर्ष की उम्र में शेष बच्चों की एक अलग तरह की परीक्षा होती थी। उस परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को क्षत्रिय का यज्ञोपवीत दिया जाता था। बारह वर्ष की उम्र में वैश्य की परीक्षा होती थी और ऐसे बालक वैश्य का यज्ञोपवीत लेते थे। जो बालक तीन परीक्षाओं में पास नहीं होते थे उन्हें श्रमिक माना लिया जाता था और उन्हें यज्ञोपवीत से वंचित कर दिया जाता था। ब्राह्मणों के लिए जीवन पद्धति कियाकलाप तथा उपलब्धियॉ सीमित होती थी। जो ब्राह्मण सम्मान के अतिरिक्त धन या राजनैतिक सत्ता की ओर प्रयत्न करता था उसे असामाजिक मान लिया जाता था अथवा उसका वर्ण बदल भी दिया जाता था। इसी तरह अन्य वणों के लिए भी था यदि कोई बढी उम्र में भी कोई विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता था तो उसका वर्ण बदलने की भी व्यवस्था थी। इसी तरह क्षत्रिय को ब्राह्मण की तुलना में कम सम्मान और सामान्य धन के आधार पर जीवन बिताना पडता था। वैश्य को सबसे कम सम्मान तथा राजनैतिक शक्ति शून्य पर संतोष करना था। श्रमिक को सर्वोच्च सुख की सुविधा प्राप्त थी उसे सम्मान, पॉवर और धन से मुक्त होकर सेवा के माध्यम से अधिकतम सुख की व्यवस्था थी। उसकी सामान्य जीवन उपयोगी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने की गारंटी थी। ब्राह्मण को दान या भीख, क्षत्रिय को टैक्स, वैश्य को व्यापार तथा शुद्र को श्रम के आधार पर अपनी सुविधाएं इकठ्ठी करने की सीमाएं बनी हुयी थी। इन सीमाओं को न कोई तोड सकता था न ही उनकी तोडने की मजबूरी थी क्योंकि सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत और सुचारू ढंग से चल रही थी कि किसी के सामने कोई संकट या मजबूरी कभी आती ही नही थी। कार्य

विभाजन सबका अलग–अलग था और व्यवस्थित था। कोई किसी दूसरे के कार्य में न हस्तक्षेप करता था न प्रतिस्पर्धा करता था। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक कार्य अपने पास केन्द्रीत नहीं कर पाता था। परिणामस्वरूप किसी भी वर्ण में बेरोजगारी का खतरा नही था। महिलाओं के संबंध में उच्च वर्ण के पुरूष निम्न वर्ण की महिलाओं के साथ विवाह और संतान उत्पत्ति कर सकते थे। निम्न वर्ण के पुरूष द्वारा उच्च वर्ण की महिलाओं से विवाह या संतान उत्पत्ति वर्जित था। यह सब सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श सामाजिक संरचना के आधार पर चल रही थी। जब यह रूढ बनी और बुद्धिजीवियों ने श्रम शोषण के उद्देश्य से इस वर्ण व्यवस्था में आरक्षण लागू किया और योग्यता की परीक्षा की अपेक्षा जन्म के आधार पर वर्ण निश्चित करना शुरू कर दिया तब इसका दुरूपयोग शुरू हुआ और अव्यवस्था असंतोष बढने लगा। जब मूर्ख लोग ब्राह्मण बनकर ज्ञान और सम्मान के केन्द्र बनने लगे तब स्वाभाविक ही था कि समाज में असंतोष बढे। स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने इस वर्ण व्यवस्था की विकृति को ठीक करने का प्रयास शुरू किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आये लेकिन स्वतंत्रता के बाद नेहरू और भीमराव अम्बेडकर ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस विकृति का लाभ उठाना चाहा और उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तोडकर जाति व्यवस्था को स्थायी बनाने की पूरी–पूरी कोशिश की। परिणाम हुआ कि वे कोई नई व्यवस्था तो नहीं बना सके किन्तु पुरानी बनी हुई विकृत या अच्छी व्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर गये। वर्तमान समय में समाज व्यवस्था को तोडकर राज्य व्यवस्था को अधिक से अधिक मजबूत बनाने का उनका षणयंत्र सफल हो गया। धीरे–धीरे परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था कमजोर हो रही है, टूट रही है और राज्य व्यवस्था अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही है।

मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि समाज व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए वर्ण व्यवस्था से अच्छी कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो सकती किन्तु वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र के नाम से संशोधित या प्रचलित करना न संभव है न उचित। कुछ नये नामों पर विचार करके फिर से वर्ण व्यवस्था को सक्रिय और प्रभावी बनाने का प्रयास होना चाहिए। ब्राह्मण की जगह विचारक विद्वान या मार्गदर्शक नाम दिया जा सकता है। क्षत्रिय की जगह सुरक्षाकर्मी, प्रबंधक, राजनैतिक, राजनेता सरीखे नाम दिया जा सकता है। वैश्य की जगह व्यापारी, व्यवस्थापक या और नाम दे सकते है। शुद्र की जगह श्रमिक उपयुक्त नामकरण है किन्तु वर्ण व्यवस्था नये ढंग से विकसित होनी चाहिये और वह जन्म के आधार पर न होकर गुण और स्वभाव के आधार किसी परीक्षा के बाद घोषित होनी चाहिए।

ऐसी कोई सामाजिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिये जो फिर से सम्मान, शक्ति, सुविधा और सेवा को योग्यता और क्षमतानुसार अपनी–अपनी सीमाओं में बिना किसी राजनैतिक कानून के दबाव में बांधने और संचालित करने में सक्षम हो सके। मैं पूरी तरह वर्ण व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई नई व्यवस्था बनाना बहुत कठिन कार्य है किन्तु इसकी शुरूआत इस तरह हो सकती है कि वर्तमान समय में बने हुए व्यावसायिक बौद्धिक राजनैतिक या श्रमिक समूहों को मान्यता देकर उन्हें अपनी आंतरिक व्यवस्था को मान्यताएं दी जाये। इसका अर्थ हुआ कि अधिवक्ता समूह अपनी आंतरिक व्यवस्था स्वयं तय करे तो वस्त्र व्यवसायी अपनी स्वयं । इसी तरह संत समाज के लोग भी अपने आंतरिक व्यवस्था स्वयं बना ले श्रमिक समूह भी बना सकते है। शिक्षक समूह अपनी आंतरिक व्यवस्था और नियमावली स्वयं बना सके। मैं तो इस मत का हूँ कि विवाह शादी तथा अन्य सामाजिक संबंधो में भी यदि जाति और वर्ण को प्राथमिकता दी जाए तो व्यवस्था और अच्छी होगी यदि वकील लडके का विवाह वकील लडकी से हो और श्रमिक का विवाह श्रमिक कन्या से हो तो इसमें लाभ ही होगा हानि नहीं। इस तरह धीरे–धीरे नये तरह की आदर्श वर्ण व्यवस्था एक स्वरूप ग्रहण कर सकती है। सरकार को भी ऐसे समूहों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

मंथन क्रमांक– 101 ''कौन शरणार्थी कौन घुसपैठिया''

कुछ मान्य धारणाएं हैः–

(1) व्यक्ति और समाज मूल इकाईयां होती हैं। परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और देश व्यवस्था की इकाईयां है। किसी भी इकाई में सम्मिलित होने के लिए उस इकाई की सहमति आवश्यक है चाहे वह इकाई परिवार हो, गांव हो अथवा देश।
(2) देश या राष्ट्र व्यवस्था की अंतिम इकाई नहीं होते हैं क्योंकि संपूर्ण विश्व–समाज ही व्यवस्था की अंतिम इकाई होता है। वर्तमान समय में विश्व व्यवस्था के छिन्न–भिन्न होने से राष्ट्र को संप्रभुता संपन्न इकाई मान लिया गया है।
(3) किसी अन्य देश का नागरिक यदि अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में जाता है तो उसके तीन कारण हो सकते हैंः–
(क) जीवन पर संकट (ख) सुविधाओं का अंतर (ग) राजनीतिक सामाजिक षड्यंत्र।
(4) दुनियां में मुसलमान अकेला ऐसा समुदाय है जो अन्य समुदायों की तुलना में सामाजिक धार्मिक षड्यंत्रों के आधार पर दूसरे देश में अधिक पलायन करता है।

(5) अन्य सभी सम्प्रदायों की तुलना में मुसलमान सहजीवन सर्व–धर्म समभाव की अपेक्षा संगठन और धार्मिक संख्या–विस्तार को अधिक महत्व देता है।
(6) वर्तमान समय में पूरी दुनियां के समक्ष संगठित इस्लाम सबसे बड़ी समस्या है। भारत के लिए तो यह समस्या खतरनाक स्वरुप धारण कर चुकी है।

भारत में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है कि वे शरणार्थी हमारे अस्थाई मेहमान हैं या घातक शत्रु? जो लोग किसी तरह की वैधानिक सहमति या स्वीकृति लेकर भारत में आए हैं उनके संबंध में हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो चर्चा सिर्फ उन लोगों की कर रहे हैं जो बिना अनुमति के, छिपकर चोरी से भारत में घुस आए हैं और रह रहे हैं। स्वाभाविक है कि सामान्य रूप से ये सब घुसपैठिए ही माने जाएंगे किन्तु यदि गहराई से विचार किया जाए तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी खतरे से बचाव के लिए भारत में प्रवेश किए होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें बांग्लादेश की तुलना में भारत में अधिक भौतिक सुविधाएं मिल रही हों तथा कुछ अल्प संख्या ऐसे भी लोगों की हो सकती है जो भारत में किसी षड्यंत्र के अंतर्गत आए हो।

यदि सामान्यतः देखा जाए तो जो भी हिंदू बांग्लादेश से भागकर भारत आए है वे किसी न किसी संकट के कारण यहां आए हैं। स्पष्ट है कि वे या तो वहां से भगाए गए हैं या डर कर भाग आए हैं जो भी मुसलमान भागकर आए हैं उनमे शायद ही कोई ऐसा हो जो किसी भय के कारण भारत आया हो। आमतौर पर वह सुविधाओं के लालच में भारत आया है लेकिन यह बात भी साफ है कि वह भारत में कुछ समय तक रह जाने के बाद भारत के संगठित मुसलमानों के साथ जुड़ जाता है धार्मिक मुसलमानों के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ता। इस तरह यह बात लगभग निश्चित है कि वह भारत के लिए साम्प्रदायिक समस्याओं के विस्तार में सहयोगी बन जाता है समाधान नहीं।

स्पष्ट है कि बाहर से आए हुए अवैध हिन्दू भारत में शरणार्थी माने जाने चाहिए और उन्हें बिना जांच–पड़ताल किए नागरिकता प्रदान कर देनी चाहिए क्योंकि वे या तो भगाए जाने के कारण आये हैं अथवा डरकर। जो भी मुसलमान आए हैं उन लोगों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और यदि उनमें से किसी के विषय में यह प्रमाणित हो जाता है कि उसको कोई खतरा था तब उस पर परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जा सकता है. किंतु जो मुसलमान सुविधाओं के लालच में भारत आए हैं उन्हें पूरी तरह घुसपैठिया मानकर देश से निकाल देना चाहिए. क्योंकि भविष्य में वे भारत की सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाएंगे ही। इस संबंध में यदि कोई कानूनी या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़े तो वह भी करना चाहिए। यह समस्या सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के हर क्षेत्र में गांव–गांव तक इस समस्या का विस्तार हुआ है।

पूरी दुनियां के लिए संगठित इस्लाम हिंसा और आतंक का पर्याय बन गया है चाहे पश्चिम के देश हो अथवा साम्यवादी रूस और चीन। सभी इस खतरे को दुनियां का सबसे बड़ा खतरा समझ रहे हैं। भारत के लिए यह खतरा और भी अधिक गंभीर है। यदि वर्तमान स्थिति का ठीक–ठीक ऑकलन किया जाए तो संगठित और हिंसक इस्लाम भारत की सबसे बड़ी समस्या है और इसे आपातकाल मानकर सारी शक्ति इस समस्या के समाधान में लगनी चाहिए। यह खतरा इसलिए और भी अधिक गंभीर हो जाता है कि भारत के मजबूत पड़ोसी देशों की भारत को अस्थिर करने में गंभीर रूचि है और भारत का संगठित इस्लाम उनके लिए सहायक हो सकता है। मरता हुआ भारत का साम्यवाद इस संगठित इस्लाम को अपना संरक्षक समझकर उसके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। इन दोनों का तालमेल पूरा प्रयत्न कर रहा है कि येन केन प्रकारेण अन्य समुदायों को विभाजित करके उन्हें टुकड़ों में बांट दिया जाए। वे अन्य समुदायों के बीच सवर्ण–अवर्ण, हिंदू–ईसाई–सिख आदि के नाम पर मतभेद पैदा करके विभाजन के लिए दिन–रात सक्रिय रहते हैं। दूसरी ओर हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी अस्पष्ट भाषा बोलते हैं जिससे साम्यवादी व संगठित इस्लाम के गठजोड़ को अप्रत्यक्ष सहायता मिलती है। वर्तमान समय चुनावों के हिसाब से निर्णायक वर्ष है और काफी सोच समझकर निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है।

वर्तमान चुनावों में साफ–साफ ध्रुवीकरण होना चाहिए जिसमें एक तरफ वे लोग हों जो संगठित इस्लाम और साम्यवादी गठजोड़ को सबसे बड़ा खतरा समझते हैं तो दूसरी ओर वे लोग हों जो इस गठजोड़ को अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए सहायक मानते हों। जो लोग कश्मीर के संबंध में ढुलमुल हो, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति रखकर हिंदू शरणार्थियों को भी उन्हीं की श्रेणी में रखने की भाषा बोलते हों, म्यामार से आए मुस्लिम शरणार्थियों को मानवीय आधार पर भारत में रखे जाने की वकालत करते हों, भारत में समान नागरिक संहिता का विरोध करके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक धारणा को मजबूत करते हों, या कश्मीर के संबंध में बातचीत की वकालत करते हो इस प्रकार के लोगों से पूरा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोग या तो खतरे को ठीक से समझ नहीं रहे अथवा राजनीतिक स्वार्थ के लिए

जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं। साथ–साथ ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो वर्तमान समय में सवर्ण–अवर्ण का मुद्दा उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से संगठित इस्लाम व साम्यवादी गठजोड़ को लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसे नासमझ लोगों को भी समझाने की आवश्यकता है।

खतरा बहुत बड़ा है और भारत के लिए इस पार या उस पार का निर्णायक समय है। वर्तमान समय यह विचार करने का नहीं है कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं नोटबंदी से फायदा हुआ कि नुकसान, न्याय पालिका चुनाव आयोग आदि संस्थाओं की स्वायत्तता पर खतरा है कि नहीं, विपक्षी दलों के अस्तित्व पर संकट है या नहीं, अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है या रसातल में जा रही है। वर्तमान समय तो सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर खोजने में है कि भारत में साम्यवादी व संगठित इस्लाम के संभावित खतरे से कौन निपट सकता है और उसके लिए कौन प्रयत्नशील हो सकता है। वर्तमान समय में भारत के लोकतंत्र को कोई खतरा है या नहीं यह प्रश्न भी महत्व नहीं रखता है क्योंकि साम्यवादी व संगठित इस्लाम का गठजोड़ अव्यवस्था का विस्तार करेगा, वर्ग समन्वय की जगह वर्ग विद्वेष पैदा करेगा, व गृह युद्ध की परिस्थितियां पैदा करेगा जिसका निश्चित परिणाम तानाशाही है। चाहे वह तानाशाही शरीयत की हो या साम्यवादी हम किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के खतरे को नहीं झेल सकते हैं. अंत में मेरा सुझाव है– 1400 वर्षों के बाद दुनिया को यह महसूस हुआ है कि संगठित इस्लाम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है. इस खतरे से निपटने में भारत का अपना भी हित निहित है और विश्व का भी. इस संकट काल में किसी भावना में बह कर मानवता के नाम पर अथवा, राजनीतिक स्वार्थ में की गई उनकी कोई भूल देश व संपूर्ण विश्व–समाज को निर्णायक नुकसान पहुंचाएगी, इसके प्रति सावधान होकर निर्णय करना चाहिए।

मंथन क्रमांक 102 ''समस्याएं अनेक समाधान एक''

1 अपराध और समस्याएं अलग अलग होते हैं, एक नहीं। अपराध रोकना सरकार का दायित्व होता है, समस्याओं को रोकना कर्तब्य।
2 अपराध रोकना सरकार का दायित्व होता है और समाज को उसमे सहयोग करना चाहिये। समस्याओ का निवारण समाज का दायित्व होता है और सरकार को उसमे सहयोग करना चाहिये।
3 दुनियां मे अपराध एक ही होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता मे किसी प्रकार से बाधा पहुंचाना। राज्य का दायित्व होता है, उस स्वतंत्रता को सुरक्षा देना।
4 भारत मे समस्याए तीन प्रकार की होती है– 1 आर्थिक 2 सामाजिक 3 राजनैतिक । इन तीनो प्रकार की समस्याओ का स्वरूप कृत्रिम होता है और समाधान कठिन नहीं है।
5 दुनियां मे समस्याएं तीन प्रकार की होती है। 1 प्राकृतिक 2 भूमंडलीय 3 कृत्रिम । कृत्रिम समस्याए भी तीन होती है। आर्थिक 2 सामाजिक 3 राजनैतिक।

6 आर्थिक समस्याए कई प्रकार की होती है। आर्थिक असमानता, मंहगाई, गरीबी, भूख, अशिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, श्रम शोषण, विदेशी कर्ज, शहरी आबादी का बढना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि।
7 सामाजिक समस्याए कई होती है। जातीय भेदभाव, साम्प्रदायिकता, छुआछूत उॅच नीच, वर्ण व्यवस्था का विकृत होना।
8 राजनैतिक समस्याए कई है। किसी समस्या का ऐसा समाधान जिसमे नई समस्या पैदा हो, वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन, समाज को गुलाम बनाकर रखने के लिये अधिक से अधिक कानून बनाना, अपनी गलतियां छिपाने के लिये समाज पर दोषारोपण, राष्ट्र को समाज से उपर सिद्ध करना।

सारी दुनियां अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक सत्ता की गुलाम बनी हुई है। दुनियां के दो महा शक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष आपस मे टकरा जाये तो दुनियां के पांच अरब लोग मिलकर भी विश्व युद्ध से नही बच सकते। यह सत्ता का केन्द्रियकरण बहुत दुखद है। भारत की राजनैतिक स्थिति भी इससे भिन्न नही है। भारत मे अपराध तेजी से बढ रहे है। अपराध रोकना सरकार का दायित्व है किन्तु सरकारे अपराध रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता न देकर सामाजिक आर्थिक समस्याओ का समाधान करते रहती है। यह समाधान भी इस प्रकार होता है कि उससे कुछ नई समस्याओ का विस्तार होते रहता है। समस्याये बढती रहती है और समाधान निरंतर जारी रहता है। अपराध बढते रहते है और सत्ता की आवश्यकता भी हमेशा बनी रहती है। इसका अंतिम परिणाम होता है गुलाम मानसिकता का विस्तार। आर्थिक समस्याए, कई प्रकार की दिखती है। इनमे मंहगाई, गरीबी, अमीरो गरीबो के बीच बढती दूरी, बढता पर्यावरण प्रदूषण, भूख से मृत्यु, श्रम शोषण, विदेशो का बढता हुआ कर्ज, शहरी आबादी का बढना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि अनेक समस्याए विकराल होती जा रही है जिनका

कोई समाधान नही दिखता । यदि गंहराई से विचार किया जाये तो ये समस्याए या तो राज्य द्वारा गलत अर्थनीति के परिणाम है अथवा अस्तित्वहीन समस्याए है जिन्हे राज्य ने प्रत्यक्ष बनाकर रखा है। मंहगाई तो है ही नहीं। गरीबी अमीरी भी इसी तरह आभाषीय शब्द है। स्पष्ट नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर। अन्य समस्याए भी कृत्रिम है ही । ऐसी सभी आर्थिक समस्याओ का सिर्फ एक समाधान हो सकता है कि कृत्रिम उर्जा अर्थात डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसीन, कोयला गैस की भारी मुल्य वृद्धि कर दी जाये। सिर्फ इस अकेले प्रयास से सब प्रकार की आर्थिक समस्याओ का समाधान हो जायेगा । यह एक छोटा सा समाधान है किन्तु इस समाधन से सब प्रकार की आर्थिक समस्याए अपने आप सुलझ सकती है। किन्तु मै देख रहा हूॅ कि कोई भी राजनेता इस समाधान के पक्ष मे नही है । क्योकि बुद्धिजीवियो, पूंजीपतियों और राजनेताओ को इस समाधान से यह स्पष्ट परिणाम दिखता है कि श्रम की मांग बढ जायेगी श्रम का मूल्य बढ जायेगा आर्थिक असमानता घट जायेगी गरीब अमीर का भेद कम हो जायेगा और उनका स्वयं के अहंकार को चोट लगेगी। इसलिये वे समाधान के अनेक प्रकार के नाटक तो करते रहते है किन्तु किसी भी कृत्रिम उर्जा की किसी भी मूल्य वृद्धि का सब मिलकर विरोध करते है। यहां तक कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले पर एक जुट हो जाते है।

सामाजिक समस्याओ के रूप मे भी कई समस्याए समाज मे व्याप्त दिखती है। जातीय टकराव साम्प्रदायिकता, छुआछूत, उंच नीच का भेदभाव, विकार ग्रस्त वर्ण व्यवस्था इनमे से प्रमुख दिखती है। इन समस्याओं के समाधान मे भी राज्य निरंतर सक्रिय रहता है। ये समस्याए हमेशा बढती ही चली जाती है और समाज मे इतना असंतोष बढाती है कि वह यदा कदा टकराव का रूप ग्रहण कर ले । इस पूरी समस्या का एक साधारण समाधान है समान नागरिक संहिता । व्यक्ति एक इकाई होगा और संवैधानिक स्वरूप मे धर्म जाति भाषा क्षेत्रियता उम्र लिंग गरीब अमीर, किसान मजदूर का कोई संवैधानिक या कानूनी भेदभाव नही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के संवैधानिक अधिकार होगे। यह एक छोटा सा प्रयत्न इन सब समस्याओ का समाधान हो सकता है। किन्तु किसी भी राजनैतिक सामाजिक संगठन की इसमे कोई रूचि नही है क्योकि यदि ऐसा हो जायेगा तो वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष को नुकसान होगा। समाज मे अनेक समाज सुधारको के ऐसे संगठन बने हुए है जिनकी रोजी रोटी इन्ही समस्याओ पर निर्भर करती है। ये संगठन भी कभी नही चाहते कि समान नागरिक संहिता लागू हो । संघ परिवार बात तो समान नागरिक संहिता की करता है किन्तु चाहता है कि समान नागरिक संहित के नाम से समान आचार संहिता लागु हो और मुसलमान ऐसी आचार संहिता का विरोध करे। संघ परिवार भी सबको बराबर का अधिकार देने के पक्ष मे नही है। महिला संगठन भी बात समानता की करते है किन्तु महिलाओ को विशेष अधिकार उन्हे अवश्य चाहिये क्योकि समान नागरिक संहिता लागु होते ही सबकी दुकानदारी खतम हो जायेगी।

राजनैतिक असमानता भी निरंतर बढती जा रही है। नये नये कानून बन रहे है और राज्य पर निर्भरता भी बढती जा रही है। परिवार के पारिवारिक और गांवो के गांव संबंधी आंतरिक मामलो मे भी राज्य का हस्तक्षेप बढता जा रहा है। नये नये संगठन बन रहे है और ये संगठन शक्तिशाली होकर पूरे समाज को असमान कर रहे है। ये संगठन जब चाहे तब राज्य के सहायक भी बन जाते है और व्लैकमेलर भी। राज्य भी ऐसे समाज तोडक संगठनो को प्रश्रय देता रहता है। क्योकि ये संगठन वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष, के विस्तार सहायक होते है और जब विपरीत समूह आपस मे टकराते है तब राज्य उसमे पंच की भूमिका मे खडा होकर हस्तक्षेप करता है। ये सब समस्याए राज्य और राज्य द्वारा घोषित सामाजिक राजनैतिक धार्मिक संगठनो द्वारा पैदा की जाती है और ये सब मिलकर समाज को अशान्त किये रहते है। इन सभी समस्याओ का सीधे एक समाधान है सहभागी लोक तंत्र। इसमे राज्य स्वयं को अपराध नियंत्रण तक सीमित कर लेता है तथा परिवार गांव जिला प्रदेश को अधिकतम अधिकार बाटकर सिर्फ पुलिस सेना वित्त विदेश न्याय अपने पास रख लेता है। मैं जानता हूॅ कि यदि लोक स्वराज्य अर्थात सहभागी लोकतंत्र आ जाये तो अपने आप कानून कम हो जायेग, राज्य की आवश्यकता कम हो जायेगी, साथ ही राज्य पर निर्भरता भी कम हो जायेगी, राज्य पोषित अनेक समूह अपने आप समाप्त हो जायेगे। लेकिन ऐसे परिजीवी लोक स्वराज्य आने नही देंगे क्योकि ऐसा होना वे भी नही चाहते और राजनीति से जुडे लोग भी ऐसा बिल्कुल नही चाहते। उनकी भी दुकानदारी खतम हो जायेगी।

मैं स्पष्ट हूॅ कि सब प्रकार की आर्थिक समस्याओ का एक समाधान है कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण, सामाजिक समस्याओ का एक समाधान है समान नागरिक संहिता और राजनैतिक समस्याओ का एक समाधान है, लोक स्वराज्य। यदि इन तीन समाधानो पर आगे बढा जाये तो भारत की लगभग सभी समस्याए अपने आप सुलझ जायेगी और राज्य पूरी ताकत से अपराध नियंत्रण की दिशा मे सक्रिय हो सकता है। हम सबके लिये उचित होगा कि हम इन तीनो समस्याओ के एक एक समाधान की दिशा मे आगे बढे। हम लोगो का कर्तब्य है कि हम इन समस्याओ के वास्तविक समाधान पर पूरे देश मे जन जागरण मजबूत करे। जो संगठन इन समस्याओ से हटकर अन्य समाधानो का नाटक करते रहते है इन संगठनो की वास्तविकता समाज के समझ प्रकट होने दे। देश की समस्याए भी अपने आप सुलझ जायेगी और अपराध नियंत्रण भी अपने आप हो जायेगा।

मंथन कमॉक–103 ''परिवार में महिलाओं को पारवरिक होना उचित या आधुनिक''

कुछ सर्वमान्य निष्कर्ष हैंः–

1. परिवार व्यवस्था के ठीक संचालन में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि परिवार की अगली पीढी के निर्माण में महिलाएँ ही महत्वपूर्ण होती हैं।
2. परिवार में महिला या पुरूष एक–दूसरे के पूरक होते हैं। परिवार की आंतरिक व्यवस्था में महिलाएँ तथा बाह्य में पुरूष प्रधान होते हैं किन्तु कुल मिलाकर सब बराबर हैं।
3. सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों से कम तथा सम्मान सुरक्षा पुरूषों से अधिक होती है। पुरूष प्रधान व्यवस्था विकृति नहीं बल्कि व्यवस्था है किन्तु परिवार का प्रमुख, परिवार प्रमुख तक सीमित रहना चाहिये, मालिक नहीं। वर्तमान पारंपरिक परिवारों में मुखिया मालिक बन गये जो एक मुख्य विकृति है।
4. परंपरागत परिवारों में आयी विकृतियों के कारण महिलाएँ पारम्परिक व्यवस्था की अपेक्षा आधुनिकता की ओर तेजी से बढ रही हैं।
5. परंपरागत परिवारों की महिलाओं में घुटन अधिक है टूटन कम। आधुनिक महिलाओं में परिवार के प्रति टूटन अधिक है घुटन कम। दोनों स्थितियां ठीक नहीं।
6. अनुशासन और नियंत्रण अलग–अलग होते हैं। परंपरागत परिवारों में अनुशासन की जगह नियंत्रण बढा और आधुनिक परिवारों में अनुशासन की जगह उच्श्रृंखलता।
7. परंपरागत महिलाएँ परिवार के सुचारू संचालन, सन्तानोत्पत्ति तथा बच्चों के नैतिक विकास को अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं तो आधुनिक महिलाएँ स्वतंत्रता, सेक्स तथा बच्चों के भौतिक विकास को अधिक महत्तवपूर्ण मानती हैं।
8. परंपरागत महिलाएँ सहजीवन को भौतिक विकास की तुलना में अधिक महत्व देती हैं तो आधुनिक महिलाएँ भौतिक विकास को सहजीवन की तुलना में अधिक महत्व देती हैं।
9. परंपरागत परिवार व्यवस्था में सुधार तथा आधुनिक परिवार व्यवस्था पर अंकुश आवश्यक है। परंपरागत या आधुनिक परिवार की जगह लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था एकमात्र समाधान है।

परिवार समाज व्यवस्था की पहली संगठनात्मक इकाई है। सेक्स की भूख, सन्तानोत्पत्ति, सहजीवन की ट्रेनिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य एक साथ सम्पन्न होने की पहली कार्यशाला है परिवार। परिवार के सभी उद्देश्य ठीक–ठाक पूरे हों इसके लिये महिला और पुरूष का एक साथ एकाकार स्वरूप में रहना आवश्यक है। अब तक भारत की परंपरागत परिवार व्यवस्था को दुनियां में सर्वाधिक सफल माना गया किन्तु धीरे–धीरे उसमें आयी कुछ विकृतियों के कारण अब उसका स्थान पाश्चात्य परिवार व्यवस्था लेती जा रही है। महिलाओं की भूमिका परिवार व्यवस्था के सफल संचालन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और वर्तमान समय में महिलाओं में परंपरागत परिवार की अपेक्षा आधुनिक परिवार की ओर तेजी से कदम बढ रहे हैं इसलिये इसके कारण, लक्षण, परिणाम और समाधान की चर्चा आवश्यक है।

परंपरागत और आधुनिक महिलाओं के रहन–सहन, प्राथमिकताएँ तथा जीवन प्रणाली में कई अन्तर स्पष्ट हैं।

1. परंपरागत महिलाएँ कर्तव्य प्रधान होती हैं। वे कभी समान अधिकार की भी मांग नहीं करतीं। वे परिवार में होने वाले अपने शोषण के विरूद्ध चुप रहती हैं। आधुनिक महिलाएँ समान अधिकार से भी संतुष्ट नहीं। उन्हें समान अधिकार भी चाहिये तथा विशेष अधिकार भी चाहिये। परंपरागत महिलाएँ त्याग प्रधान होती हैं, आधुनिक महिलाएँ संग्रह प्रधान होती हैं।
2. परंपरागत महिलाएँ सेक्स की तुलना में सन्तानोत्पत्ति को अधिक महत्व देती हैं। आधुनिक महिलाओं में सन्तानोत्पत्ति के प्रति अरूचि और सेक्स के प्रति अधिक आकर्षण होता है।
3. परंपरागत महिलाएँ सहजीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानकर संयुक्त परिवार को अधिक महत्व देती हैं। आधुनिक महिलाएँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देकर परिवारों को छोटे से छोटा करने को महत्वपूर्ण मानती हैं।
4. परंपरागत महिलाएँ भावना प्रधान अधिक होती हैं बुद्धि प्रधान कम। आधुनिक महिलाएँ बुद्धि प्रधान अधिक होती हैं, भावना प्रधान कम।
5. परंपरागत महिलाएँ नैतिकता को भौतिकता की तुलना में अधिक महत्व देती हैं। आधुनिक महिलाएँ भौतिक उन्नति के लिये नैतिकता से जल्दी समझौता करने को तैयार रहती हैं।
6. परंपरागत महिलाएँ अन्य पुरूषों से आवश्यकता से अधिक दूरी बना कर रखती हैं। यदि इनके साथ कोई साधारण छेडछाड की आपराधिक घटना हो तो या तो छिपाती हैं या सामाजिक स्तर से निपटाना चाहती हैं।

आधुनिक महिलाएँ अन्य पुरूषों के साथ कम से कम दूरी बनाने की कोशिश करती हैं तथा मामूली छेडछाड की घटना में आसमान सर पर उठा लेती हैं।

7. परंपरागत महिलाएँ परिवार या रिश्तेदारी तक आकर्षक तथा बाहर में अनाकर्षक पोशाक, हावभाव, बोलचाल का प्रयोग करती हैं। आधुनिक महिलाएँ परिवार में अनाकर्षक तथा बाहर में आकर्षक पोषाक, हावभाव तथा बोलचाल व्यवहार करती हैं।

एक अनुमान के अनुसार अब भी भारत में लगभग अठान्नवे प्रतिशत महिलाएँ पारंपरिक जीवन पद्धति में शामिल हैं तो दो प्रतिशत अति आधुनिक प्रणाली में। भौतिक विकास के ऑकलन में भी ये दो प्रतिशत आधुनिक परिवार अठान्नवे की तुलना में बहुत आगे हैं तो नैतिक पतन में भी। परिवार तोडने, तलाक, असंतोष, नैतिक पतन तथा सामाजिक अव्यवस्था विस्तार में भी ये दो प्रतिशत महिलाएँ अठान्नवे की तुलना में बहुत आगे हैं तो परिवार की भौतिक उन्नति, शिक्षा विस्तार, अधिकारों के लिये संघर्ष, में भी इन दो प्रतिशत आधुनिक महिलाओं का परंपरागत की तुलना में कई गुना अधिक योगदान है। परंपरागत महिलाएँ प्राचीन संस्कारों को ऑख मूंदकर चलने पर अधिक विश्वास करती है तो आधुनिक महिलायें प्राचीन संस्कारों को बिना विचारे ऑख मूंदकर तोडने और छोडने पर अधिक विश्वास करती है। परंपरागत महिलाएँ वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष को घातक मानती है तो आधुनिक महिलाएँ वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष को महत्व देती है।

यह स्पष्ट है कि महिलाएँ परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था के सुचारू संचालन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था के टूटने में आधुनिक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है किन्तु यह भी मानना होगा कि परम्परागत परिवार व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आधुनिक परिवार व्यवस्था को न रोका जा सकता है न सुधारा जा सकता हैं क्योंकि महिलाएँ ही अब इतनी जागरूक है कि वे घुटन की अपेक्षा टूटन को अधिक महत्व दे रही है। साथ ही भारत की संवैधानिक राजनैतिक व्यवस्था इस टूटन को अधिक विस्तार दे रही है। एक तरफ तो संवैधानिक व्यवस्था महिलाओं को समान अधिकार देना नही चाहती तो दूसरी ओर उन्हें विशेष अधिकार का लालच देकर आधुनिक बनने की ओर प्रेरित कर रही है। किसी तरह का कानूनी दबाव न तो परम्परागत परिवार व्यवस्था को बचा सकता है न ही आधुनिक व्यवस्था को रोक सकता है। यदि हम महिलाओं को आधुनिकता की अंधी दौड से रोकना चाहते है तो हमें परम्परागत परिवार व्यवस्था में आयी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। अब यह नहीं चल सकता कि परिवार व्यवस्था के संचालन में महिला पुरूष का भेद किया जाए या सम्पत्ति के अधिकार में दोनों की भूमिका अलग–अलग हो। अब यह नहीं चल सकता कि परिवार से अलग होने के लिए महिलाओं को किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता है। महिला पुरूष के बीच भेद करने वाले सब प्रकार के कानून हटाकर सबको बराबर का अधिकार दे देना चाहिए। परम्परागत परिवार व्यवस्था तथा आधुनिक परिवार व्यवस्था की परिवार तोडक भूमिका को बदलकर लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था प्रारंभ होनी चाहिए जिसका अर्थ है परिवार और समाज के संचालन तथा आर्थिक मामलों में भी महिलाओं के समान संवैधानिक कानूनी तथा परिवारिक अधिकार होना।

मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था का सुझाव न तो परम्परागत महिलाओं को पसंद आएगा। न ही आधुनिक महिलाओं को। परम्परागत महिलाएं इतनी डरी हुई है कि उन्हें लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था के लिए पुरूष वर्ग सहमत होने देगा न ही आधुनिक महिलाएँ इस दिशा में कदम आगे बढने देगी क्योंकि ऐसा होते ही उनके विशेषाधिकार भी खत्म हो जाऐंगे तथा उनका न्यूसेंस वेंल्यू भी कम हो जाऐगा। किन्तु समाज व्यवस्था के सफल संचालन के लिए ऐसी परम्परागत महिलाओं को विचार प्रचार द्वारा सहमत करना होगा तथा आधुनिक महिलाओं को नियंत्रित करना होगा। मैं समझता हूँ कि विषय बहुत गंभीर है तथा इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि भारत की टूटती परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था का कारण क्या है और समाधान क्या है? मेरा सुझाव है कि परम्परागत महिलाओं को परिवार व्यवस्था में अधिक छूट दी जानी चाहिए। वर्तमान समय में यह उचित होगा कि सरकार परिवारिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने वाले कानून हटा लें। साथ ही परिवारों को इस प्रकार के सामाजिक और कानूनी निर्णय की स्वतंत्रता दी जाए की वे स्वंय मिल बैठकर इस बात का निर्णय कर ले कि उन्हें परम्परागत व्यवस्था में चलना है, आधुनिक मार्ग पकडना है अथवा लोकतांत्रिक मार्ग। मैं लोकतांत्रिक परिवार व्यवस्था का पक्षधर हूँ।

सामयिकी

भारत की वर्तमान राजनीति में प्रमुख राजनेताओं की योग्यता और क्षमता का ऑकलन करें तो राहुल गांधी सबसे अधिक शरीफ माने जाते हैं। वे आसानी से झूठ नहीं बोल पाते। नीयत के मामले में भी वे साफ सुथरी राजनीति के पक्षधर हैं।

उनमें सामाजिक सोच अधिक है और कूटनीतिक योग्यता का अभाव है। उनके कार्यो में बहुत अधिक बचपना भी भरा रहता है।

जिस तरह किसी गाय को शेर के समान गुण युक्त बनाना असंभव है उसी तरह राहुल गांधी को भी एक आदर्श सामाजिक व्यक्तित्व से बदल कर कूटनीतिज्ञ राजनेता बनाना संभव नहीं है। उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है किन्तु परिणाम ठीक नहीं दिखते। वे जब भी राजनीतिक भाषा बोलने की कोशिश करते हैं तो उनसे गलती हो जाती है। अभी उन्होंने विदेशों में जाकर मोदी सरकार की आलोचना के क्रम में जो तर्क दिये वह पूरी तरह असत्य धारणा है। बेरोजगारी के कारण लिंचिंग तथा आतंकवाद बढ रहा है ऐसी सोच रखना पूरी तरह मूर्खतापूर्ण तो है ही साथ–साथ घातक भी है। दुनियां में जहॉ–जहॉ भी हिंसा या आतंक का वातावरण बढा है उनमें अधिकतम दो प्रतिशत लोग ही किसी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक मजबूरी के कारण हिंसा की राह पकडते हैं अन्यथा अन्य लोग प्रवृत्ति से हिंसक होते हैं तथा अव्यवस्था का लाभ उठाकर उस मार्ग पर तेज गति से चलने लगते हैं। ऐसे हिंसक लोगों को धूर्त राजनेताओं का अप्रत्यक्ष समर्थन और सहयोग मिलता रहता है और यदा कदा कोई अच्छा आदमी भी धूर्तता सीखने के क्रम में उनके पक्ष में बोल देता है। मैं स्पष्ट हूॅ कि अपराध और मजबूरी के बीच कोई तालमेल का समर्थन नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसका विरोध होना चाहिये। किसी अच्छे व्यक्ति ने भी कोई गलत सिद्धान्त दिया है तो ऐसे सिद्धान्त पर चुप रहना घातक होगा।

सामयिकी

छत्तीसगढ के बलरामपुर जिले में एक सप्ताह पूर्व जंगल में एक जीप के ड्राइवर की हत्या करके गाडी लुटेरे लूटकर ले गये। छः दिन बाद फिर उसी तरीके से लुटेरे ड्राइवर को धक्का देकर और बांध कर जंगल में छोड दिये और गाडी लेकर चले गये। अब तक कोई पकडा नहीं गया, पुलिस को छोडकर शेष कोई प्रतिक्रिया नही हुयी। एक लडकी के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या हो गयी तो न्यायालय तथा मीडिया बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया। मैं अभी तक नहीं समझ सका कि दोनों हत्याओं में महिला की हत्या ज्यादा गंभीर और गरीब ड्राइवर की हत्या कम गंभीर क्यों? मुझे तो महसूस होता है कि उस लडकी की हत्या की तुलना में उस ड्राइवर की हत्या ज्यादा गंभीर घटना है क्योंकि उस ड्राइवर के साथ उसका पूरा परिवार उस लडकी की तुलना में अधिक प्रभावित होता है। इस विषय पर और अधिक गंम्भीरता से सोचा जाना चाहिए। बलात्कार की घटना में न्यायालय सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सक्रिय होता है भले ही गरीब ड्राइवर की हत्या का निपटारा आजीवन न हो सके।

मैंने इस विषय पर सोचा कि वर्तमान पुरूष समाज महिलाओं के विषय में इतना आवश्यकता से अधिक संवेदनशील क्यों हो गया है। मुझे लगा कि वर्तमान पुरूष वर्ग प्राचीन समय में महिलाओं के प्रति किये गये भेदभाव पूर्व व्यवहार के कारण वर्तमान समय में प्रायश्चित स्वरूप ऐसी गलती कर रहा है। हर आदमी के द्वारा महिलाओं के पक्ष में अधिक से अधिक आवाज उठाने की एक प्रतिस्पर्धा दिख रही है। इस प्रतिस्पर्धा में कोई समाधान नही है, कोई व्यवस्था में सुधार नही है बल्कि अपने किये गये पाप धोने का एक संतोष मात्र छिपा हुआ है। मेरे विचार से इस विषय पर इस अपराध भाव से उपर उठ कर सोचने की आवश्यकता है।

सामयिकी

सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता के संबंध मे जो निर्णय दिया है उसे मैं ठीक मानता हूॅ। लम्बे समय से मेरी धारणा है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत परिवार के पारिवारिक गांव के गांव संबंधी आंतरिक व्यवस्था मे कानून का दखल नहीं होना चाहिये। हर मामले मे सरकारी हस्तक्षेप समाज को निष्क्रिय और गुलाम सरीखा बना देता है जैसा अंग्रेजो के समय था और आज भी है। मेरे विचार से जुआ शराब गांजा आत्महत्या छुआछूत वैश्यावृत्ति जैसे अनेक कानून सामाजिक विषय हैं। सरकार को इनसे निकल जाना चाहिये। जो सरकार डकैती बलात्कार मिलावट आतंकवाद जैसे अपराध न रोक पा रही हो उसे क्यो ऐसे अनावश्यक कार्यो मे शक्ति लगानी चाहिये जो अनैतिक तो है किन्तु अपराध नही।

हमारे कुछ मित्र समझने मे भूल कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधो को करने योग्य कार्य नही कहा है बल्कि उसे सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त किया है। यह कार्य अनैतिक तो रहेगा ही किन्तु अपराध नही रहेगा। समाज ऐसे

व्यक्ति को अनुशासित कर सकता है किन्तु राज्य नही। मेरे विचार से यदि समाज की स्वतंत्रता मे राज्य का हस्तक्षेप घटे तो हमे ऐसे निर्णय की प्रशंसा करनी चाहिये न कि आलोचना।

प्रश्नोत्तर

1. गौरव कांत शर्मा

विचारः—भारत की अव्यवस्था को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के वुद्धिजीवियों के भी अपने अलग अलग मत हैं। जहाँ ब्राह्मण वुद्धिजीवी इस अव्यवस्था का मूल कारण शिक्षा की विकृति व ज्ञान का अभाव मानते हैं, वहीं वैश्य वर्ग के आर्थिक असमानता मानते हैं, क्षत्रिय वर्ग इस अव्यवस्था के लिये योग्य शासक व शासन का अभाव मानते हैं तो चौथा वर्ग शोषण तथा रोजगार का अभाव मानते हैं।
ये मत भिन्नता दर्शाती है कि आमजन हो या वुद्धिजीवी, अपने स्वभाव से हटकर नहीं सोच पाता।
परंतु यदि स्वतंत्र व स्वस्थ चिंतन किया जाये तो हम पायेंगे कि उपरोक्त चारो कारण ही इस अव्यवस्था के मूल में हैं जिन्हें एक साथ सतत प्रक्रिया द्वारा दूर करने की आवश्यकता है।

विचारः—हमें चालाक नहीं, समझदार बनने की भी आवश्यकता है। हमें दूसरों को कमजोर करने से पहले स्वयं की ताकत को पहचानना होगा। यह कोई दो व्यक्ति के बीच की लड़ाई नहीं है जिसमें दुश्मन मर गया और लड़ाई खत्म।
यह दो विचारधारा, व्यवस्था की लड़ाई है। सामने वाले की ताकत है व्यवस्था पर उसका अधिकार। वो जैसे चाहें व्यवस्था बनाकर, प्रयोग कर लोगों को चला सकते हैं।
हमारे पास एक ही शक्ति है वो है ऐकता, संगठन शक्ति। जिसका प्रयोग सत्तर सालों से आजतक हम समाज के भले के लिए नहीं कर पाये हैं।
अब सवाल है कि हम संगठित कैसे होंगे। 130 करोड़ लोगों को एक दिन या किसी निश्चित समय में संगठित नहीं किया जा सकता और न ही जादू की कोई छड़ी है। इसके लिए आवश्यक है कुछ लोग संगठित होकर उसी प्लेटफार्म का प्रयोग अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में करें, क्योंकि लोग विचार पर ही संगठित होते हैं। इसके लिए हमें अपने बीच च से ही किसी निर्दलीय प्रतिनिधि को चुनना होगा। परंतु इस काम में उस प्रतिनिधि के अहंकारी, उद्दंड, निरंकुश व विश्वासघाती होने का खतरा है इसके लिए हमें एक निश्चित संख्या में निर्दलीय प्रतिनिधियों को चुनना होगा।
यही एक मात्र विकल्प है।साथ में हम जनजागरण जैसे अन्य सकारात्मक कार्य करते रह सकते हैं।

उत्तर्राध

अभ्युदय द्विवेदी, रीवा, मध्य प्रदेश (ज्ञान यज्ञ के राष्ट्रीय संयोजक)

विचारः—दिनांक 11 सितंबर 2018 को तेलीगुडा पाटन, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़) में विनोवा जी के जयंती के उपलक्ष पर ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के साथ—साथ गांधी बिनोवा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार—गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में ज्ञान यज्ञ के प्रेरणा स्रोत श्री बजरंग मुनि जी, श्री राजन महाराज जी, ज्ञान यज्ञ के राष्ट्रीय संयोजक भाई अभ्युदय द्विवेदी, सर्वोदय मंडल के गरीब दास भाई जी, डेलूराम भाई जी, श्री पंथराम वर्मा जी तथा देश भर से आए सर्वोदय मंडल के सभी साथी गण, गायत्री परिवार के प्रमुख साथी गण, आर्य समाज, संघ व अन्य भिन्न—भिन्न संगठन के प्रबुद्ध जनों ने अपने—अपने विचार रखें। तथा वर्तमान समय में दुनियां में फैली हुई अव्यवस्था को कैसे व्यवस्थित व संतुलित किया जाए इस विषय पर चर्चा करते हुए सभी ने वर्तमान समय में राजनैतिक के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर चिंता व्यक्त की तथा वर्तमान समय में समाज कैसे मजबूत हो इस दिशा में सभी लोगों ने विचार करते हुए समाज को मजबूत बनाने की दिशा में सहमति बनाते हुए जन जागरण के माध्यम से परिवार गांव एवं समाज को सशक्त बनाने के लिए गांधी, विनोबा के अधूरे कार्य को पूरा करते हुए एक नई व्यवस्था या पुनः सनातन व्यवस्था को स्थापित करने का संकल्प लिया गया।

अपनों से अपनी बात

लम्बे समय के बाद आपसे कुछ चर्चा की आवश्यकता हुई है। हम सब साथी मिलकर वर्षो से ज्ञान यज्ञ तथा ग्राम संसद अभियान का संयुक्त प्रयास करते रहे हैं जिसका वर्तमान संयुक्त कार्यालय कौशाम्बी में था। मैं मुख्य रूप से ज्ञान यज्ञ तथा मंथन के माध्यम से सामाजिक विषयों पर शोध में अधिक सक्रिय रहता था तथा ज्ञान यज्ञ के साथ—साथ एक दूसरी

टीम ग्राम संसद अभियान का संचालन भी करती रही। आचार्य पंकज जी के साथ मिलकर कुछ लोग संविधान मंथन का कार्य करते रहे। ज्ञान यज्ञ का प्रमुख प्रयास प्रत्येक व्यक्ति में समझदारी और ज्ञान बढाने का प्रयास था तो ग्राम संसद अभियान राजनैतिक सत्ता पर समाज के नियंत्रण का प्रयास था। ज्ञान यज्ञ समाज सशक्तिकरण को प्रमुख मानता रहा तो ग्राम संसद अभियान राज्य कमजोरीकरण को।

दिल्ली कार्यालय के माध्यम से ग्राम संसद अभियान के प्रति तो सक्रियता बढती गई किन्तु ज्ञान यज्ञ तथा संविधान मंथन का कार्य निरंतर उपेक्षित होता रहा। ग्राम संसद में सक्रिय कुछ प्रमुख लोगों में आपसी तालमेल नहीं बन सका। हमलोगों को महसूस हुआ कि ज्ञान यज्ञ तथा सामाजिक समस्याओं पर शोध कार्य को गति देने के लिए अलग कार्यालय होना चाहिये। यही सोचकर देवभूमि ऋषिकेश में बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान शीर्षक एक नये कार्यालय का उद्घघाटन किया गया। वर्तमान में यह **कार्यालय मकान नंबर 104/19 जोशी सर्जिकल अस्पताल के सामने वाली गली में, देहरादून रोड, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड 249201** पर स्थित है। मैं भी यहीं रहकर उनके कार्य में सहायता करता रहूंगा। स्वास्थ तथा उम्र के आधार पर मैं अब अधिक यात्राएं तो नहीं कर सकता किन्तु उनकी मदद तो हम सब लोग करेंगे ही।

इस कार्यालय में प्रत्येक रविवार को प्रातः दस बजे से एक बजे तक ज्ञान यज्ञ रखा जायेगा जिसमें यज्ञ के साथ–साथ किसी एक पूर्व घोषित विषय पर विचार मंथन होगा। वर्ष में एक बार कम से कम एक सौ इक्यावन घंटो का एक बडा यज्ञ होगा जो लगातार पंद्रह दिनों तक चलेगा। इस बडे यज्ञ में तीस विषयों पर व्यापक विचार मंथन करके इस शोध कार्य को आगे बढाया जायेगा। कोशिश की जायेगी कि देश भर के प्रमुख लोग इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हो सकें। इस वार्षिक यज्ञ की तिथियॉ 31 अगस्त से 14 सितम्बर तक अर्थात भादो की पूर्णमासी को यज्ञ पूरा होगा। चर्चा के विषय और तिथियॉ अगले महीने तक घोषित हो जाऐगी। देश भर के लोग इस यज्ञ में आमंत्रित है ज्ञान तत्व में निरंतर चर्चा जारी रहेगी।

ग्राम संसद अभियान का कार्यालय दिल्ली में कौशाम्बी में चल रहा है। बीस की कमेटी उसका संचालन कर रही है। मेरा भी उस अभियान को पूरा समर्थन और सहयोग रहेगा किन्तु मैं अब ग्राम संसद अभियान में प्रत्यक्ष समय नहीं दे पाउॅगा क्योंकि ऋषिकेश कार्यालय में मेरी प्रमुख भूमिका रहेगी ही।
आशा है कि आप सबका पूर्ववत सहयोग मिलता रहेगा।

–बजरंग मुनि